



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49047

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3316 वर्ष 2026

राज कुमार

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : प्रशांत सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी. एस. सी., प्रशांत सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।
2. रिट याची की व्यथा यह है कि उसे 26.10.2002 को दैनिक वेतन के आधार पर सफाईकर्मों के पद पर नियुक्त किया गया था, तथापि, न तो रिट याची के नियमितीकरण के मामले पर और न ही एक नियमित कर्मचारी से संबंधित अन्य लाभों पर विचार किया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि रिट याची के दावे के लिए प्रथमतः प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा न्यायनिर्णयन की आवश्यकता है।
4. बार के समक्ष इस प्रकार किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याची को प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है, जो उक्त

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्ताव पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार सख्ती से रिट याची के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेगा।

11 मार्च, 2026

एन. एस. राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।